राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 18 / 2025 दायर तारीख 17.02.2025

अनवान

01 कुलदीप पुत्र शक्तिनारायण जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

02 ओमप्रकाश पुत्र गणपत जाति तापड़िया उम्र वयस्क निवासी नीलकंठ कॉलोनी, शास्त्रीनगर भीलवाड़ज्ञ जिला भीलवाड़ा (राज.)

............प्रार्थीगण

बनाम

01 भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)।

............विपक्षी

उपस्थित :–

1. श्री परवेज आलम, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. सरकार पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

–: निर्णय :–

दिनांक :– 04 / 08 / 2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** विरूद्ध विपक्षी पेश कर निवेदन किया की प्रार्थीगण की स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम किशनपुरियां पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा स्थित खाता संख्या नया 13 खाता संख्या पुराना 5 आराजी संख्या 74 रकबा 1.0117 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। जिस पर आने जाने के लिए उक्त भूमि के उत्तर दिशा में होते हुए पूर्व दिशा में बिलानाम भूमि आराजी 70–71 की मेड पर होते हुए प्रार्थी की आराजी संख्या 74 में रास्ता प्रवेश करता हैं। प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर अपनी आराजी मे आता जाता है। विपक्षी की उक्त भूमि आराजीयत मे से होकर गुजरने

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वाला रास्ता राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे मे तरमीम नही होने से प्रार्थी को उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग भविष्य में अवरूद्ध होने का अन्देशा बना रहता है। जबकि उक्त रास्ता वर्षो से पुराना होकर उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजी मे आने जाने, ट्रेक्टर, ट्रोली, वाहन, बैलगाड़ी लाने ले जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी मे आने जाने के उक्त 30 फीट चौडे रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज एवं नक्शे मे तरमीम करवाने का निवेदन किया है, और प्रार्थी की उक्त आराजीयात मे जाने वाले उक्त 30 फीट चौड़े रास्ते को रिकॉर्ड मे लेने के बदले मे तय किये जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार पर मुआवजी भुगतान को तैयार है।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गयी।

प्रकरण में विपक्षी की बाद तामील प्राप्त हुयी। उक्त प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां से तलब की गयी तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2025/696 दिनांक 01.05.2025 में अंकित किया कि ग्राम किशनपुरिया के आराजी नं0 74 रकबा 1.0117 है0 भूमि पर पहुच मार्ग हेतु प्रार्थी खातेदार द्वारा आ0नं0 70 व 71 की मेड से रास्ता चाहा गया है। आ0नं0 74 ओमप्रकाश पुत्र गणपत 1/2 जाति तापडिया सा. नीलकण्ठ कॉलोनी शास्त्रीनगर, भीलवाडा, कुलदीप पुत्र शक्तिनारायण 1/2 जाति ब्राह्मण सा. बिजौलियां खातेदारी हक से रेकार्ड दर्ज है। उक्त भूमि पर पहुच मार्ग हेतु वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नही है। रास्ते हेतु न्यूनतम दूरी का रास्ता आ0नं0 71 की पूर्वी दिशा से प्रस्तावित किया गया है। जो नियमानुसार न्यूनतम दूरी का रास्ता है। यह प्रस्तावित रास्ता पूर्व में दर्ज गेमु0 रास्ता आ0नं0 70/1, 71/1 , 72/1 से जाकर मिलता है। प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल 0.0880 है0 बनता है। आ0नं0 71 बिलानाम सरकार रेकार्ड दर्ज होकर राजकीय आराजी है। जिसकी रिको से दूरी 294 मीटर, खनिज संभावित से 124 मीटर, NH, SH से 01 कि0मी0 से अधिक की दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित की भूमि नही है। किसी प्रकार का न्यायालय में वाद विचाराधीन नही है।

ग्राम किशनपुरिया की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 71 रकबा 0.8903 है0 से रकबा 0.0880 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 2301400/– रू0 प्रति है0 से भूमि की लेयत 202524/– रूपये का दुगुना से 405048/– रूपये की राशि बनती है।

अतः मौका रिपोर्ट, नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस की प्रतियां सलंग्न की है।

प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी सरकार पैरोकार की सुनी गयी।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता, पैरोकार की बहस पर मनन किया
ा प्रस्तावित रास्ता दिये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार बिजौलिया ने अपनी रिपोर्ट में
ित किया कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौके पर
नही हैं।

–: आदेश :–

अतः प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी
धिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी को स्वयं की खातेदारी भूमि मौजा
म किशनपुरिया की आराजी नं0 71 रकबा 0.8903 है0 में से रकबा 0.0880 हैक्टेयर भूमि को
जस्व रेकॉर्ड में गै0मू0 रास्ता (पगडंडियां) अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम किशनपुरिया की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 71 रकबा 0.8903 है0 में से
कबा 0.0880 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 2301400/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत
2524/– रूपये का दुगुना से 405048/– रूपये की राशि बनती है। बतौर मुआवजा भुगतान
ाय हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमान्तर्गत रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता
भिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 04/08/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां